13.11.19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। साक्ष्य वादी में वादी स्वयं, एवं गवाह, हीरालाल, दलीचन्द उपस्थित हुए इनके बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादी द्वारा वाद पत्र के साथ पेश किये ग्राम मंगलवाड़ में वादी के पिता के नाम जमाबन्दी सम्वत 2072-72 खाता 457 प्रदर्श-1 एवं खाता सं. 15 की नकल जमाबन्दी प्रदर्श-2 वादी का आधारकार्ड प्रदर्श-3, वादी के पिता के नाम बैंक आफ बड़ौदा के खाता के विवरण प्रदर्श-4, वादी का मतदाता परिचय पत्र प्रदर्श-5 परिवार राशन कार्ड प्रदर्श 6 है। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि ग्राम मंगलवाड़ के खाता संख्या 457 में वर्णित आ०न० 3069/1476 रकबा 0.0800 है, आ०न० 3070/1477 रकबा 0.7500 है० अराजी न० 3071/1490 रकबा 0.2700 है. भूमि वादी के पिता परता के ने राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एवं खाता सं. 15 में वर्णित आराजी न. 1480 रकबा 0.1200 आ० या० में वादी पिता का ½ हक हिस्सा है। वादी के पिता की दिनांक 17.11.2018 को मृत्यु हो चुकी है। परता की कृषि भूमि पर वादी काबिज हो काश्त की जा रही है। परता के एक मात्र पुत्र वादी लक्ष्मीलाल है। वादी ने विरासत से अभी अपने नाम पर लेने हेतु नामान्तरण की कार्यवाही हेतु आवेदन करने पर राजस्व कार्मिकों द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की जाने से वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.का. अधिनियम के पेश होने से वाद पत्र को स्वीकार किया जाता है। तथा उपरोक्त ऊपर वर्णित आराजियात की कृषि भूमि के उपरोक्तानुसार भूमि का खातेदार दस्तावेजों के अनुसार घोषित किया जाना उचित होकर न्यायोचित है। अत: मृतक परता पिता करना अहीर निवासी मंगलवाड़ के नाम दर्ज भूमि वादी लक्ष्मीलाल के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सेकम हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूँगला

लक्ष्मीलाल
[illegible] दलीचन्द